



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 01 जनवरी, 2021-पौष 11, शके 1942

भाग 3 (1)

विज्ञापन

स्थानीय संस्थाओं की सूचनाएं

मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर

सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदेश वित्त निगम के अंशधारियों की पैसठवीं वार्षिक साधारण बैठक स्वतः उपस्थित होकर साथ ही साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य आडियो-विजुअल (ओएवीएम) के माध्यम से शुक्रवार, दिनांक 15 जनवरी, 2021 को दोपहर 4.00 बजे "वित्त भवन" मुम्बई-आगरा मार्ग, इन्दौर स्थित निगम के प्रधान कार्यालय में होगी, जिसमें निम्नलिखित कार्य सम्पादन किया जायेगा:-

1. 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के तुलनपत्र तथा लाभ-हानि लेखों के संबंध में लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा वर्ष के दौरान निगम के कार्यों के संबंध में संचालक मण्डल की रिपोर्ट का वाचन और उस पर विचार.
2. वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु सांविधिक अंकेक्षकों की नियुक्ति पर विचार.
3. अध्यक्ष की अनुमति से कोई अन्य विषय जो बैठक में प्रस्तुत किया जावे.

निगम की अंशबही दिनांक 26 दिसम्बर, 2020 से 15 जनवरी, 2021 तक (दोनों दिन मिलाकर) बन्द रहेगी.

नोट :-

- (क) पैसठवीं वार्षिक साधारण बैठक में उपस्थित होने हेतु प्रस्तावों की प्रमाणित प्रतिलिपियों (उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित जिसमें प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था) जिसमें कम्पनी द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हों, निगम कार्यालय में बैठक के 4 दिन पूर्व (सम्पूर्ण दिन) अर्थात् 08 जनवरी, 2021 तक पहुँच जाना चाहिए.
- (ख) प्रतिपत्र (प्रॉक्सी) निगम के कार्यालय में बैठक के 7 दिन (सम्पूर्ण दिन) पूर्व अर्थात् 05 जनवरी, 2021 तक पहुँच जाना चाहिए.
- (ग) अंशधारियों की सूची एक रुपया प्रति की दर से निगम कार्यालय में बैठक के तीन सप्ताह पूर्व उपलब्ध हो सकेगी.
- (घ) अंशधारी सदस्य जो वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक साधारण बैठक में सम्मिलित होना चाहते हैं, निवेदन है कि अपना मेल आईडी एवं मोबाईल नम्बर लिंक प्राप्त करने हेतु प्रदान करें.

16 दिसम्बर, 2020

"वित्त भवन"

मुम्बई-आगरा मार्ग इन्दौर-452 001

(528-बी.)

संचालक मण्डल की आज्ञानुसार

स्मिता भारद्वाज,

प्रबन्ध संचालक.

MADHYA PRADESH FINANCIAL CORPORATION, INDORE

Notice is hereby given that the 65th Annual General Meeting of the shareholders of the Madhya Pradesh Financial Corporation will be held at the Head Office of the Corporation, "Finance House", Mumbai-Agra Road, Indore on Friday, the 15th January, 2021 at 4.00 pm physically as well as through Video conferencing (VC) or other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following businesses:-

1. To read and consider the Balance Sheet and Profit and Loss Account of the Corporation for the year which ended on 31st March, 2020 (together with the Report of the Auditors thereon) and the Report of the Board of Directors of the Corporation on its working during the year.
2. To consider appointment of Statutory Auditors for the Financial Year 2020-21.
3. Any other business which may be placed before the meeting with the permission of the Chairman.

The Share Register of the Corporation will remain close from 26th December 2020 to 15th January, 2021. (both days inclusive).

NOTES:-

- (a) Certified copies (certified to be true copies by the Chairman of the meeting in which the resolution is passed) of the Resolutions appointing duly authorized representatives by Companies to attend the 65th Annual General meeting Should reach the Office of the Corporation not later than four clear days i.e. 8th January, 2021.
- (b) Proxies should reach the Office of the Corporation not later than seven clear days before the date fixed for the meeting i.e. 5th January, 2021.
- (c) Lists of Shareholders are available at the Office of the Corporation for purchase by Shareholders at a price of Re. 1/- per Copy, three weeks before the date fixed for the meeting.
- (d) The Shareholders/Members who are willing to attend the AGM through VC/OAVM are requested to submit Mail ID & Mobile No. to provide them the link for the same.

16th December, 2020
"Finance House"

Mumbai -Agra Road, Indore-452 001.
(528A-B.)

By order of the Board of Directors
SMITA BHARADWAJ,
Managing Director.

अन्य सूचनाएं**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण सूचनार्थ मैं, पूनम चौहान (पत्नि श्री सुरेश सैनी) पुत्री श्री अशोक सिंह चौहान निवासी लक्ष्मी बाई चोपरा, गोपाल गंज सागर, अब मेरा नाम परिवर्तित होकर पूनम सिंह चौहान हो गया है अब मुझे मेरे नए नाम पूनम सिंह चौहान नाम से सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों में दर्ज माना जाये.

पुराना नाम :
(पूनम चौहान)

(527-बी.)

नया नाम :
(पूनम सिंह चौहान)

उप-नाम परिवर्तन

सर्वविदित हो कि मैं, नारायण सिंह धाकड़ आत्मज श्री जयगोविंद सिंह सिंगोरिया निवासी एफ-57, सुंदर नगर अशोक गार्डन, भोपाल (म.प्र.) ने अपना सरनेम सिंगोरिया से बदलकर धाकड़ कर लिया है भविष्य में मुझे नारायण सिंह धाकड़ के नाम से जाना, पहचाना एवं संब्यवहार किया जाए.

पुराना नाम :
(नारायण सिंह सिंगोरिया)

(529-बी.)

नया नाम :
(नारायण सिंह धाकड़)
एफ-57, सुंदर नगर, अशोक गार्डन,
भोपाल (म. प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, माया धाकड़ पत्नी श्री नारायण सिंह धाकड़ निवासी एफ-57, सुंदर नगर अशोक गार्डन, भोपाल (म.प्र.) ने अपना सरनेम सिंगोरिया से बदलकर धाकड़ कर लिया है. अतः मैं घोषणा करती हूँ कि भविष्य में मुझे माया धाकड़ के नाम से जाना, पहचाना एवं संव्यवहार किया जाए.

पुराना नाम :
(माया सिंगोरिया)

(530-बी.)

नया नाम :
(माया धाकड़)

एफ-57, सुंदर नगर, अशोक गार्डन,
भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, आयुषी कुकरेजा पुत्री श्री सुरेन्द्र कुकरेजा सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम आयुषी कुकरेजा था जो मेरे बैंक खाते तथा एफडी एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है वर्तमान में मेरा नाम संजोली कुकरेजा है जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटरकार्ड में लिखा गया है तथा मैं, संजोली कुकरेजा के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं संजोली कुकरेजा के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी आयुषी कुकरेजा एवं संजोली कुकरेजा मेरे ही नाम है अतः मेरे बैंक खाते, एफडी एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम आयुषी कुकरेजा के स्थान पर संजोली कुकरेजा लिखा एवं पढ़ा जाये आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :
(आयुषी कुकरेजा)

(532-बी.)

नया नाम :
(संजोली कुकरेजा)

पुत्री- श्री सुरेन्द्र कुकरेजा,
निवासी- बी 11, समाधिया कॉलोनी, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, हैप्पी खनेजा पुत्र श्री कमल कुमार खनेजा सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ की मेरा बचपन का बोलता नाम भारत खनेजा था जो मेरे एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 200672085 में लिखा गया है जबकि मेरे सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं शासकीय अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पेनकार्ड, आधार कार्ड एवं मार्कशीट में मेरा नाम हैप्पी खनेजा पुत्र श्री कमल कुमार खनेजा लिखा गया है और वर्तमान में मुझे हैप्पी खनेजा के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है और मैं हैप्पी खनेजा के नाम से ही हस्ताक्षर करता हूँ हैप्पी खनेजा एवं भारत खनेजा मेरे ही नाम है अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200672085 में मेरा नाम भारत खनेजा के स्थान पर हैप्पी खनेजा लिखा एवं पढ़ा जाए. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

पुराना नाम :
(भारत खनेजा)

(533-बी.)

नया नाम :
(हैप्पी खनेजा)

पुत्र-कमल कुमार खनेजा,
निवासी- 46, ज्योति नगर कुम्हरपुरा थाटीपुर मुरार, ग्वालियर.

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुशीला आड़वानी पत्नी स्व. श्री त्रिलोक चंद आड़वानी सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ मेरे पति की बीमा पॉलिसी में मेरा नोमिनी में मेरा घर का नाम श्रीमती अंजना लिखा गया है जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रमाण प्रपत्रों जैसे पेन कार्ड, आधार कार्ड, और बैंक पासबुक इत्यादि में मेरा नाम श्रीमती सुशीला आड़वानी पत्नी स्व. श्री त्रिलोक चंद आड़वानी अंकित है वर्तमान में श्रीमती सुशीला आड़वानी के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ एवं हस्ताक्षर करती हूँ. श्रीमती अंजना एवं श्रीमती सुशीला आड़वानी मेरे ही नाम है. अतः मेरे पति की बीमा पॉलिसी में नोमिनी में मेरा नाम श्रीमती अंजना के स्थान पर श्रीमती सुशीला आड़वानी लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :
(अंजना)

(534-बी.)

नया नाम :
(सुशीला आड़वानी)

पत्नी- स्व. श्री त्रिलोक चंद आड़वानी,
पता- मानसरोवर कॉलोनी मंगल के ढावा के पास,
ग्वालियर मार्ग, दतिया (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, प्रियंका जैन पुत्री श्री विजय कुमार जैन सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम प्रिया जैन था जो मेरे शेर खता क्रमांक 511177235586 एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है वर्तमान में मेरा नाम प्रियंका जैन है जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटरकार्ड, बैंकखाता, पेन कार्ड इत्यादि में लिखा गया है तथा मैं प्रियंका जैन नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं प्रियंका जैन के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. प्रिया जैन एवं प्रियंका जैन मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे शेर खता क्रमांक 511177235566, 511177235586 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम प्रिया जैन के स्थान पर प्रियंका जैन लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(प्रिया जैन)

(535-बी.)

नया नाम :

(प्रियंका जैन)

पुत्री- श्री विजय कुमार जैन,
निवासी- जिंसी नाला न.02 गुब्बारा फाटक,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, निधि जैन पुत्री श्री विजय कुमार जैन सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा घर का बोलता नाम नेहा जैन था जो मेरे शेर खता क्रमांक 517179137651 एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है वर्तमान में मेरा नाम निधि जैन है जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटरकार्ड, बैंकखाता, पेन कार्ड इत्यादि में लिखा गया है तथा मैं निधि जैन नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ तथा भविष्य में भी मैं निधि जैन के नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाऊँगी तथा हस्ताक्षर करती रहूँगी. नेहा जैन एवं निधि जैन मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे शेर खता क्रमांक 517179137651, 593186157615 एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम नेहा जैन के स्थान पर निधि जैन लिखा एवं पढ़ा जाये. आमजन एवं सर्वजन सूचित हो.

पुराना नाम :

(नेहा जैन)

(536-बी.)

नया नाम :

(निधि जैन)

पुत्री- श्री विजय कुमार जैन,
निवासी- जिंसी नाला न.02 गुब्बारा फाटक,
लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मुझे अन्जु अग्रवाल पिता ओमप्रकाश अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जाता था. तत्पश्चात् मेरा विवाह दिनांक 07-05-1998 को सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् ससुराल परंपरा अनुसार मेरा नाम परिवर्तित होकर श्रीमती महिमा बंसल पति मुकेश बंसल हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(अन्जु अग्रवाल)

(520-बी.)

नया नाम :

(महिमा बंसल)

पता- 95, रावजी बाजार, जूनी इन्दौर,
इन्दौर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने मेरी अवयस्क पुत्री का नाम जो पूर्व में जन्नतुन फिरदोसी शेख (Jannatun Firdousi Sheikh) था, को बदलकर जन्नत शेख (Jannat Sheikh) कर लिया है. अब भविष्य में मेरी पुत्री को नये नाम जन्नत शेख (Jannat Sheikh) से जाना व पहचाना जावेगा. सो विदित होवे.

शेख खलिक,

15, शास्त्री कॉलोनी, इन्दौर

(521-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्री मनोज नागर पुत्र श्री सुरेशचंद नागर, ग्राम मसावनी, पोस्ट बुखारी, तहसील कराहल, जिला श्योपुर मध्यप्रदेश का निवासी हूँ. मैंने एक बीमा पॉलिसी (एल.आई.सी. श्योपुर) ले रखी है. जिसमें त्रुटिवश मेरा बोलता नाम मोनू धाकड़ पुत्र श्री सुरेशचंद धाकड़ लिखा आ रहा है और आज भी लिखा हुआ है. जबकि मेरा वास्तविक नाम आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य

दस्तावेजों में मनोज नागर पुत्र श्री सुरेशचंद नागर लिखा है जो सही है तथा मोनू धाकड़ पुत्र श्री सुरेशचंद धाकड़ और मनोज नागर पुत्र श्री सुरेशचंद नागर ये दोनों नाम मुझे अकेले व्यक्ति के ही हैं. अतः मनोज नागर पुत्र श्री सुरेशचंद नागर नाम मेरे समस्त दस्तावेजों में मान्य किया जावे.

पुराना नाम :
(मोनू धाकड़)

नया नाम :
(मनोज नागर)
पुत्र- श्री सुरेशचंद नागर.

(522-बी.)

CHANGE OF NAME

(ASHISH SEN) S/o (Jawahar Lal Sen) age 28 residing at (49, Pavaiya H.No. 1 to 250, Tehsil Raghurajnagar, Satna-485666) have changed the Spelling of my name to (AASHIESH SEN) vide affidavit dated (24.6.2020) at Satna M.P.

Old Name :
(ASHISH SEN)

New Name :
(AASHIESH SEN)

(523-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, लक्ष्मी निवास तिवारी तनय श्री पंचम प्रसाद तिवारी पेशा सेवानिवृत्त (सिविल परिचारक) श्रेणी-2 कार्यालय अधीक्षण अभियंता सिलपरा, पोस्ट भटलो, जिला रीवा, मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड निवासी ग्राम मऊ, तहसील सिरमौर, जिला रीवा सर्व सूचना आमजन व शासकीय रूप से प्रकाशित कराता हूँ कि मेरा नाम लक्ष्मी निवास तिवारी पिता श्री पंचम प्रसाद तिवारी है अगर किसी शासकीय या गैर- शासकीय अभिलेख में या जानकारी में मेरा नाम लक्ष्मी निवास त्रिपाठी तनय पंचम प्रसाद त्रिपाठी लिखा हो या पाया गया हो तो वह गलत है. भूलवश त्रुटि से लेख हो गया है. मेरा असली/सही नाम मेरे द्वारा तैयार कराये गए शासकीय अभिलेख व शासन द्वारा तैयार दस्तावेजों में लक्ष्मी निवास तिवारी तनय श्री पंचम प्रसाद तिवारी है व इसी नाम से मुझे जाना व पहचाना जाता है जो सही व सत्य है.

पुराना नाम :
(लक्ष्मी निवास त्रिपाठी)

नया नाम :
(लक्ष्मी प्रसाद तिवारी)
पिता- श्री पंचम प्रसाद तिवारी,
निवासी- ग्राम मऊ, तह. सिरमौर,
जिला रीवा (म.प्र.).

(524-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, गुल मोहम्मद मियानूर पिता जकरिया खान निवासी वार्ड नं. 20 कुम्हारी मोहल्ला बालाघाट तह. व. जिला बालाघाट सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि पूर्व में मेरा नाम गुल मोहम्मद खान पिता जकरिया खान था जिसे बदलकर गुल मोहम्मद मियानूर कर दिया गया है. मुझे इसी नाम से जाना, पहचाना जाता है. शासकीय, अशासकीय व्यवसायिक सामाजिक सभी जगह और दस्तावेजों में मेरा नाम गुल मोहम्मद मियानूर लिखा व पढ़ा जाये. आमजन सर्वजन को सूचित.

पुराना नाम :
(गुल मोहम्मद खान)

नया नाम :
(गुल मोहम्मद मियानूर)

(525-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि विवाह पूर्व मेरा नाम कु. हेमलता भार्गव पुत्री श्री लखनलाल भार्गव निवासी- जवाहर गंज डबरा, ग्वालियर था एवं सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में भी यही नाम है. दिनांक 22-04-2000 को मेरा विवाह श्री संजय दुबे पुत्र श्री शुकदेव प्रसाद दुबे, निवासी घरियाली मौहल्ला, बिहारीगंज, करैरा, जिला- शिवपुरी के साथ सम्पन्न हो जाने के उपरांत अब मेरा नाम श्रीमती प्रेरणा दुबे पत्नी संजय दुबे हो गया है. अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे तथा सभी दस्तावेजों में यही नाम मान्य हो.

पुराना नाम :
(हेमलता भार्गव)

नया नाम :
(प्रेरणा दुबे)
पत्नी-श्री संजय दुबे,
निवासी- घरियाली मौहल्ला, बिहारीगंज,
करैरा, जिला-शिवपुरी.

(526-बी.)

नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, श्रेयांश गर्ग पुत्र श्री विपुल गर्ग निवासी-08, लोहा बाजार हुजुर भोपाल (म.प्र.) यह कि मेरा आलियांज बजाज ALLIANZ BAJAJ की पोलिसी क्र. 0003877601 में मेरा नाम विशु गर्ग अंकित है.

जब कि अब मैंने अपना नाम विशु गर्ग के स्थान पर नया नाम श्रेयांश गर्ग रख लिया है.

अतः अब मुझे भविष्य में श्रेयांश गर्ग के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावें.

पुराना नाम :

(विशु गर्ग)

(531-बी.)

नया नाम :

(श्रेयांश गर्ग)

पुत्र- श्री विपुल गर्ग

निवासी-08, लोहा बाजार हुजुर,

भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF SURNAME

I, declare that My minor daughter's name was Krishka Vishwakarma. Now my daughter's surname have been change and now it is Krishka Kate D/o Shymali Kate. In Future my daughter's name known as Krishka Kate D/o Shymali Kate.

SHYMALI KATE,

303, PT2, Pinnacle Dreams,

Nipania, Indore-452010.

(541-B.)

CHANGE OF NAME

I, Praveen Kumar Maheshwari changed my name to Praveen Maheshwar Vaishnav vide Affidavit Date 24-08-2020, sworn before Notary Ghulam Nizamuddin Anwar Siddiqui at Bhopal M.P.

Old Name :

(Praveen Kumar Maheshwari)

(540-B.)

New Name :

(Praveen Maheshwar Vaishnav)

NOTICE

COMPANY APPEAL NO.82/252/NCLT/AHM/2019 In the matter of Strike off

MAKSON CAPSULES PRIVATE LIMITED

(Rajendra Chandrakant Patel- Director/Shareholder of Makson Capsules Private Limited)

V/s

REGISTRAR OF COMPANIES, GWALIOR

In the matter of Company Appeal No. 82/252/NCLT/AHM/2019 regarding restoration of name of the Company under Section 252 of the Companies Act, 2013

Notice Is Hereby Issued that the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Indore Bench, Ahmedabad vide order dated 30.01.2020 passed in company appeal No. 82/252/NCLT/AHM/2019 directed for restoration of company namely Makson Capsules Private Limited (CIN-U24232MP1998PTC012841) having registered office at 6A, Sector-D, Industrial Area, Mandideep, Dist- Raisen (M.P.) 462046. As per the said order of the Hon'ble National Company Law Tribunal (NCLT), Indore Bench, Ahmedabad the name of the company namely Makson Capsules Private Limited has been restored in the register of the companies maintained in the office of the Registrar of Companies, Madhya Pradesh, Gwalior.

(**RAJENDRA C PATEL**)

Applicant/Appellant.

(545-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मर्स फर्म जिसका पता-254, धार रोड, इंदौर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 1486, दिनांक 15-02-1984 पर पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसके भागीदार 1. श्रीमति सुधा राठी पति श्री अनिल पी राठी

एवं 2. श्रीमती नेहा राठी पति श्री करन राठी थे. तत्पश्चात् दिनांक 22-09-2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. मे. यूनिवर्सल पॉवर इन्फ्राटेक एल.एल.पी. भागीदारी फर्म मेसर्स यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मर्स में सम्मिलित हो गए हैं. तत्पश्चात् दिनांक 31-10-2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा 1. मे. यूनिवर्सल पॉवर इन्फ्राटेक एल.एल.पी. भागीदारी फर्म मेसर्स यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मर्स से पृथक् हो गये हैं. यह विदित हो.

तर्फे-मेसर्स यूनिवर्सल ट्रांसफॉर्मर्स ,

1. सुधा राठी, 2. नेहा राठी,

(पार्टनर).

(546-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स जी.एस.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर जो 61, गुना नाका रेल्वे तिराहा ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.) में स्थित है जिसका पंजीयन क्रमांक 01/04/05/0084/18 एवं दिनांक 14-06-2018 है, जिसमें दिनांक 24-10-2020 को भागीदार श्री सतेन्द्र सिंह सिकरवार पुत्र श्री बलवीर सिंह सिकरवार निवासी- रसोधना, मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं.

आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स जी.एस.बी. इन्फ्रास्ट्रक्चर,

बाबू सिंह गोस्वामी,

(भागीदार)

61, गुना नाका रेल्वे तिराहा, ब्यावरा,

जिला- राजगढ़ (म.प्र.).

(537-बी.)

जाहिर सूचना

मेसर्स गुरु साहेब रजिस्ट्रेशन क्र. 01/01/01/00187/13 फर्म एवं संस्थाएँ भोपाल में रजिस्टर्ड है उक्त फर्म में भागीदार नारायण लाल जाट एवम भैरवलाल जाट रिटायर्ड हो गये हैं एवं उनके स्थान पर ललित जाट एवं मुकेश जाट को भागीदार (पार्टनर) के रूप में फर्म में सम्मिलित किया है इस संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार से आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के सात दिवस के भीतर अपनी आपत्ति कर सकता है.

मेसर्स-गुरु साहेब,

ओल्ड पार्टनर- 1. भेरूलाल जाट, 2. नारायणलाल जाट, 3. रितेश मालवीय,

नये पार्टनर- 1. मुकेश जाट, 2. ललित जाट, 3 रितेश मालवीय,

(538-बी.)

खेडीसावलीगढ़, जिला-बैतूल

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स लाभम रियल्टी फर्म भागीदारी जिसका पता ऑफिस 121-FB, स्कीम नंबर 94, रिंग रोड, इंदौर (मध्यप्रदेश), जिसका फर्म पंजीयन क्रमांक 03/27/01/0262/20, दिनांक 05 फरवरी, 2020 को पंजीकृत फर्म है, जिसके भागीदार 1. श्री नीलेश पोरवाल पिता, श्री वीरेंद्र कुमार पोरवाल, 2. श्री सिद्धार्थ पोरवाल पिता श्री नीलेश पोरवाल, 3. श्री सत्यनारायण मंत्री पिता श्री मनोहर लाल मंत्री, 4. श्री प्रथम मंत्री पिता श्री सत्यनारायण मंत्री, 5. श्री मंजुल जैन पिता श्री कांतिलाल जैन, 6. श्री युगांश सोनी पिता श्री विमल सोनी थे तत्पश्चात् दिनांक 20-10-2020 को भागीदारी संशोधन लेख द्वारा श्री सिद्धार्थ पोरवाल पिता श्री नीलेश पोरवाल भागीदारी फर्म मैसर्स लाभम रियल्टी से पृथक् हो गए हैं भागीदार ने फर्म मैसर्स लाभम रियल्टी से अपना पूर्ण हिसाब किताब कर अपने अधिकार समाप्त कर लिये हैं एवं फर्म में उनका अब कोई लेना-देना नहीं है, यह आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

फॉर-मैसर्स लाभम रियल्टी,

नीलेश पोरवाल,

(पार्टनर).

(539-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मे. श्री आनंद एग्रो इण्डस्ट्रीज 61/1, 2, विलेज गवाना पोस्ट लोनी तह. जिला बुरहानपुर 29 अप्रैल, 2013 की मूल भागीदारी फर्म में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं.-

दिनांक 21-10-2016 से फर्म में सम्मिलित होने वाले भागीदार.-

1. श्री नवीन पारख पिता श्री भंवरलाल पारख

2. श्रीमती रेणुका पारख पति श्री नवीन पारख

फर्म में भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं एवं

दिनांक 31-01-2017 से फर्म से पृथक (रिटायर्ड) होने वाले भागीदार:-

1. श्री नितिन तलरेजा पिता श्री भागचंद तलरेजा
2. श्री मनीष डोडानी पिता श्री रामदास डोडानी

दिनांक 31-01-2017 से मे. श्री आनंद एग्रो इण्डस्ट्रीज फर्म में निम्न भागीदारों द्वारा नियमित व्यवसाय संचालित किया जा रहा है,

1. श्री नवीन पारख पिता श्री भंवरलाल पारख
2. श्रीमती रेणुका पारख पति श्री नवीन पारख
3. श्रीमती निन्जा सेठिया पति श्री प्रिंस सेठिया

वास्ते-मे. श्री आनंद एग्रो इण्डस्ट्रीज,
निन्जा सेठिया,
(पार्टनर).

(542-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म साईनाथ प्रॉपर्टीज के संविधान में दिनांक 30-09-2020 से निम्नलिखित संशोधन हुए हैं.

फर्म से अलग होने वाले भागीदार:-

1. श्री शैलेशकुमार पिता पन्नालाल माहेश्वरी

निम्नलिखित भागीदार यथावत भागीदारी फर्म में रहेंगे:

1. श्री वीरेन्द्र पिता रामानंद तिवारी
2. श्री विशाल पिता गोकुल महाजन

वास्ते-मेसर्स साईनाथ प्रॉपर्टीज,
वीरेन्द्र तिवारी,
(पार्टनर).
बुरहानपुर (म. प्र.).

(543-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म साईनाथ प्रॉपर्टीज के कार्यालय के स्थान में दिनांक 30-09-2020 से निम्नलिखित परिवर्तन हुआ है.

फर्म का पुराना पता :

शाह बाजार, बुरहानपुर मध्यप्रदेश

फर्म का नया पता :

C/O भारत ट्रेवल्स, बस स्टैंड, शाहपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.

वास्ते-मेसर्स साईनाथ प्रॉपर्टीज,
वीरेन्द्र तिवारी,
(पार्टनर).
बुरहानपुर (म. प्र.).

(544-बी.)

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार M/s Truba Infratech जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थायें भोपाल में 01/01/01/0231/18 दिनांक 09-10-2018 के साझेदार 1. Smt. Shilpa Rathor 2. Mr. Shyam Rathor के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है M/s Truba Infratech भागीदार क्र. 1. Smt. Shilpa Rathor 2. Mr. Shyam Rathor है जिसमें दिनांक 17-10-2020 को साझेदारी संशोधन विलेख निष्पादित किया गया है जिसमें Mr. Kailash Chandra Rathor S/o Pyare Lal Rathor aged about 79 years R/o B-226, B Shahpura Bhopal (M.P.) के भागीदार के रूप में सम्मिलित/शामिल किया है उक्त साझेदार भागीदार क्र. 03 कहलायेंगे उक्त भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे.

द्वारा-
एन.के. साहू,
(अधिवक्ता)
एफ-9, एलाईड काम्पलेक्स
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल (म.प्र.).

(547-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास अनुभाग, पंधाना, जिला खण्डवा

प्र.क्र. 01/बी-113/2020-21.

दिनांक 18 दिसम्बर, 2020

मौजा ग्राम-बोरगांव बु. (कल्याणगीर)

“प्रारूप-चार”

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम-1962, के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि श्री ओंकारानंद जी महाराज अध्यक्ष एवं कार्यकारी न्यासी श्री सदगुरु कल्याणगीर आश्रम ग्राम पंचायत बोरगांव बुजुर्ग, तहसील पंधाना, जिला खण्डवा (म.प्र.) द्वारा मध्यप्रदेश जो न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 बग के अंतर्गत कथित लोक न्यास के पंजीकरण के लिये अधिवक्ता श्री रजत सोहनी के माध्यम से आवेदन सह प्रारूप (न्यास का प्रारूप) प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि, उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 05 जनवरी, 2021 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा सम्पत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	श्री सदगुरु कल्याणगीर आश्रम मंदिर लोकन्यास ग्राम कल्याणगीर ग्राम पंचायत बोरगांव बु. तहसील पंधाना, जिला खण्डवा (म.प्र.)
चल सम्पत्ति :
अचल सम्पत्ति :	1. श्री कल्याणगीर आश्रम मंदिर, मां दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर, गुरु महाराज की समाधि एवं चरण पादुकाओं के दो मंदिर, शिव परिवार मंदिर. 2. निवास कक्ष 5000 व.फु. अलग-अलग निर्मित है. 3. ग्राम बोरगांव बु. में भूमि ख.नं. 409 रकबा 5.84 हे. है. 4. मंदिर की अनुमानित वार्षिक आय 15,000/-रु. 5. मंदिर की अनुमानित वार्षिक व्यय 15,000/-रु.

(1359)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास अनुविभाग-पुनासा, जिला-खण्डवा

प्र. क्रमांक/बी-113(1)/2019-20.

दिनांक 17 जनवरी, 2019 को जारी

प्रारूप-चार

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास नियम, 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

आवेदक “आद्ययगौड सनाड्य ब्राम्हण समाज ओंकारेश्वर” तह. पुनासा जिला खण्डवा द्वारा श्री लक्ष्मीनारायण पिता श्री कन्हैयालाल निवासी ग्राम ओंकारेश्वर तह. पुनासा, जिला खण्डवा का पंजीयन न्यास के रूप में कराये जाने हेतु मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4 के तहत आवेदन-पत्र पेश कर उक्त ट्रस्ट के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 31 जनवरी, 2020 को विचार किया जायेगा.

2. उक्त ट्रस्ट के कार्य अथवा संपत्ति से कोई व्यक्ति यदि हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो वह इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के एक माह के भीतर लिखित विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. और वह स्वयं अथवा अधिवक्ता/अधिकर्ता के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित हो सकता है. समयावधि के समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

सार्वजनिक न्यास का नाम एवं पता :	“आद्ययगौड सनाड्य ब्राम्हण समाज ओंकारेश्वर” तह. पुनासा जिला-खण्डवा.
पता :	“आद्ययगौड सनाड्य ब्राम्हण समाज ओंकारेश्वर” तह. पुनासा जिला-खण्डवा.

अनुसूची "अ"

चल सम्पत्ति : 1000/-रुपये नगद.

अनुसूची "ब"

अचल सम्पत्ति : निरंक

(1364)

ममता खेडे,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

न्यायालय, पंजीयक लोक न्यास अनुभाग, राऊ-इन्दौर, जिला-इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 21 दिसम्बर, 2020

फार्म-चार

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963, नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./.../री.राऊ/2020.—चिंतामण गणेश सेवा ट्रस्ट पता-98/204, प्रिकांको कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड, सुदामा नगर, इन्दौर की ओर से मनीष पिता श्री अशोक परते पता 98/204, प्रिकांको कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड, सुदामा नगर इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-04 के अधीन आवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	चिंतामण गणेश सेवा ट्रस्ट
पता	:	कार्यालय 98/204, प्रिकांको कॉलोनी अन्नपूर्णा रोड, सुदामा नगर इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 5000/-

आज दिनांक 21 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

सुनील झा,

पंजीयक.

(1360)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी.टी. नगर, भोपाल

प्र. क्र. 03/बी-113/2004-05.

प्र. क्र. 52/बी-121/2020-21.

प्रारूप-4

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5(2) एवं मध्यप्रदेश न्यास नियम-1962 के नियम (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि (नीरज बूलचंदानी एवं बेबी मुस्कान मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, भोपाल) द्वारा श्री अर्नव सलूजा आ. श्री नीरज सलूजा, निवासी- म.नं. 9-सी, सराभा नगर, लुधियाना (पंजाब) ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर ट्रस्टियों के द्वारा त्यागपत्र किये जाने तथा नये ट्रस्टियों के नाम जोड़ें जाने हेतु संशोधन करने बाबत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 30 दिसम्बर, 2020 को विचार किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, वह इस सूचना के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

- | | | |
|------------------|---|--|
| 1. ट्रस्ट का नाम | : | नीरज बूलचंदानी एवं बेबी मुस्कान मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट, भोपाल
(कार्यालय- द आइकोनिक स्कूल ग्राम विशनखेडी, भोपाल. |
| 2. अचल सम्पत्ति | : | निल. |
| 3. चल सम्पत्ति | : | 43,59,765/- |

आज दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

विनीत तिवारी,

(1362)

अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीयक, मनावर-धरमपुरी क्षेत्र, जिला धार

प्र.क्र./बी-113/2020-21.

एतद् द्वारा सर्व-साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रामलाल भाई पाटीदार, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी, गायत्री परिवार ट्रस्ट, धामनोद, निवासी गायत्री शक्तिपीठ महेश्वर रोड, रामपुरा धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) आदि-08 द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत कस्बा धामनोद, तहसील धरमपुरी, जिला धार, में "गायत्री परिवार ट्रस्ट, धामनोद, जिला-धार" के लोक न्यास के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया.

2. अतः मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 की उपधारा-1 और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानानुसार उक्त ट्रस्ट के पंजीयन किए जाने के संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह स्वयं या मार्फत् अभिभाषक के विज्ञप्ति प्रसारण के एक माह के भीतर मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर, अपनी आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद समाप्ति के किसी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.

3. यह विज्ञप्ति आज दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

दिव्या पटेल,

(1363)

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं**कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर**

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2346.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2792, दिनांक 20 नवम्बर, 2015 के द्वारा स्वराज्य बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहोरीपार, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2078 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वराज्य बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बहोरीपार, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2078 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1348)

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2347.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि/2788, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा मां नर्मदा बीज उत्पादक

सहकारी समिति मर्या., बरगी, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2079 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां नमदी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरगी, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2079 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1349)

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2348.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/2790, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा मां दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रीमा, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2066 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां दुर्गा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रीमा, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2066 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1350)

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2349.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/2787, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुकरी, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2076 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सुकरी, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2076 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1351)

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2350.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2786, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा पारस बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्हनी देवरी, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2081 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारस बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्हनी देवरी, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2081 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1352)

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2351.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2785, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा श्री दादा ठनठनपाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौतिया, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2089 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री दादा ठनठनपाल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हिनौतिया, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2089 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1353)

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2352.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2789, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा अमृत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरवा बम्हनी, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2114 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक

एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमृत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरवा बम्हनी, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2114 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1354)

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2353.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2794, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा मोती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डगडगा हिनौता, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2067 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोती बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डगडगा हिनौता, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2067 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(1355)

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज./परि./2020/2354.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज./परि./2793, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 के द्वारा मां त्रिपुरी सुंदरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडुआ, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2065 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण,सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, शिवम् मिश्रा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010 पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां त्रिपुरी सुंदरी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पडुआ, वि.खण्ड जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 2065 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 26 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवम् मिश्रा,

उप-पंजीयक.

(1356)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगौन

खरगौन, दिनांक 11 नवम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/1468.—साई भोला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, तहसील खरगौन जिसे आगे केवल संस्था लिखा गया है,

मूलतः मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पंजीकृत होकर पंजीयन क्रमांक 228, दिनांक 29 मई, 2012 था. शासन द्वारा मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1990 निरसित करने के उपरांत उक्त सहकारिता का संपरिवर्तन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत हुआ है, जिसका पंजीयन क्रमांक 1929, दिनांक 10 मार्च, 2014 है. उक्त संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/674, दिनांक 22 जून, 2020 को जारी किया गया था.

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था. उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-(1) पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हो. (2) प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटुंबिक दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.
5. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
6. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

उक्त सूचना-पत्र मध्यप्रदेश राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई, 2020 को भी प्रकाशित हुआ है. संस्था द्वारा सूचना-पत्र का प्रतिउत्तर संस्था प्रबंधक/अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं दिया गया है, अतः यह माना जाकर कि संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के आरोप स्वीकार हैं तथा संस्था को अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है, इस आधार पर संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, एम. एल. गजभिये, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, जिला खरगौन मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्र./ एफ/05/-1-99/15-1/सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 (यथा संशोधित अद्यतन) के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए साई भोला साख सहकारी संस्था मर्या., खरगौन, पंजीयन क्रमांक 1929, दिनांक 10 मार्च, 2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70(1) के अंतर्गत सुश्री संगीता कपिल, उप.अंके. खरगौन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 11 नवम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एम. एल. गजभिये,
उप-पंजीयक,

(1336)

कार्यालय, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, जिला बैतूल

बैतूल, दिनांक 8 दिसम्बर, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./पुन/2020/951.—कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/195 दिनांक 20 फरवरी, 2019 द्वारा तवा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. लोनिया जिला बैतूल पंजीयन क्रमांक 1177, दिनांक 12 जून, 1987, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(2) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया था. कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/195 दिनांक 20 फरवरी, 2019 के द्वारा श्री बसंत मगरदे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

संस्था के परिसमापक द्वारा दिनांक 01 नवम्बर, 2020 को आमसभा ली गई. जिसमें सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने हेतु निर्णय पारित किया गया है. परिसमापक द्वारा भी संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई. तदनुसार मेरी राय में संस्था द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक द्वारा की गई अनुशंसा को दृष्टिगत रखते हुये तवा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. लोनिया का अस्तित्व में रहना आवश्यक है.

अतः मैं, के.व्ही. सोरते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, बैतूल मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अंतर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2019/195 दिनांक 20 फरवरी, 2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आगामी आदेश पर्यन्त अथवा संस्था का निर्वाचन जो भी पहले हो संस्था का कामकाज संचालन हेतु 6 माह के लिये तवा आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या. लोनिया जिला बैतूल का निम्नानुसार प्रबंधकारिणी कमेटी का गठन करता हूँ।

क्र.	नाम	पद
1.	श्री सामसिंग/सुम्मा	अध्यक्ष
2.	श्री विनोद/मंगल	उपाध्यक्ष
3.	श्री प्रहलाद/कृपानाथ	संचालक
4.	श्री जीवन/पंचम	संचालक
5.	श्री राजेश/मंगल	संचालक
6.	श्री दीपक/मंगल	संचालक
7.	श्री रामचन्द्र/कालूराम	संचालक
8.	श्रीमति सुगरती/सुखदेव	संचालक
9.	श्रीमति अनिता/मंजूलाल	संचालक

यह आदेश आज दिनांक 08 दिसम्बर, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1358)

के. व्ही. सोरते,
उप-पंजीयक.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 1]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 01 जनवरी, 2021-पौष 11, शके 1942

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 25 नवम्बर, 2020

1. मौसम एवं वर्षा:—प्रायः राज्य में मौसम शुष्क रहा. राज्य के कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.
2. प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव :-राज्य के कुछ जिलों में जुलाई चालू है.
3. बोनी पर वर्षा का प्रभाव :- राज्य के कुछ जिलों में बोनी चालू है.
4. धान रोपाई पर वर्षा का प्रभाव :-रोपाई समाप्त हो चुकी है.
5. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
6. कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव :-कोई प्रभाव होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
7. अन्य असामयक घटना से क्षति :-कोई क्षति होना प्रतिवेदित नहीं किया गया है.
8. फसल स्थिति :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल बिगड़ी हुई प्रतिवेदित किया गया है.
9. सिंचाई:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है.
10. पशुओं की स्थिति:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.
11. चारा :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.
12. बीज:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.
13. खेतिहर श्रमिक :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
8.	गुना :	गुना राघोगढ़ बमोरी आरोन चाचौड़ा मकसूदनगढ़ कुम्भराज 4.2 19.0	बोनी चालू	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
9.	टीकमगढ़ :	जतारा टीकमगढ़ बल्देवगढ़ पलेरा खरगापुर मोहनगढ़ 4.0 .. 15.0 .. 3.0 .. 4.0	चना राई-सरसौ	अधिक अधिक	0.02 0.05	सामान्य समान	5. अपर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त. 0
10.	निवाड़ी :	निवाड़ी पृथ्वीपुर ओरछा	5. . .	6.(अ). .	6.(ब). .	7. . .	8. . .	
11.	छतरपुर :	गौरीहार नौगांव छतरपुर राजनगर बिजावर बड़ा मलहरा महाराजपुर चंदला धुवारा लवकुशनगर बक्सवाहा 8.0 2.0 .. 10.0	जुताई चालू बोनी चालू	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8					9			10		
25.	उज्जैन :	खाचरौद महिदपुर तराना घटिया उज्जैन बड़नगर नागदा 2.4	बोनी चालू	गेहूं चना	कम 10% अधिक 30%	सामान्य समान	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
26.	आगर :	बड़ौद सुसनेर नलखेड़ा आगर	जुताई चालू बोनी चालू	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	
27.	शाजापुर:	मोमन (बड़े) शाजापुर शुजालपुर कालापीपल पोलायकलां अबंतीपुर- बडौदिया गुलाना 3.2 .. 13.0 .. 6.0 3.0 ..	जुताई चालू बोनी चालू	गेहूं चना रई-सरसों मसूर तुअर अन्य	अधिक 20% कम 25% सामान्य .. सामान्य .. कम 10% अधिक 2%	सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य समान	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
28.	देवास :	सोनकच्छ टोंकखुर्द देवास बागली कन्नोद हाटपिपल्या सतवास उदयनगर खातेगांव	जुताई चालू बोनी चालू	5. पर्याप्त.	6.(अ)संतोषजनक	6.(ब)अच्छी.	7. पर्याप्त.	8. पर्याप्त.	

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
52.	बालाघाट :		जुलाई चालू	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट	
	लाँजी	
	किरनापुर	
	बैहर	
	वारासिवनी	
	कटंगी	
	लालबर्गा	
	तिरोडी	
	परसवाड़ा	
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

(1356)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.